निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आश्विन 1942 (श0)

(सं0 पटना 649) पटना सोमवार 28 सितम्बर 2020

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

23 सितम्बर 2020

सं० 01/मु0स्था0रा0भू0(विविध)–15–02/2012–1070(1)/रा0,— श्री अमरेन्द्र पति त्रिपाठी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, को बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा–04 के अधीन बिहार भूमि न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के सदस्य (न्यायिक) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. यह नियुक्ति, पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या उनकी 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होगी।

3. इनकी सेवा–शर्त्त, बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009 एवं बिहार भूमि न्यायाधिकरण नियमावली, 2010 के सुसंगत प्रावधानों में विनिर्दिष्ट सेवा–शर्त्त के अनुरूप होगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 649-571+50-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in